

आवेदक/आरोपी प्रकाश सिंह की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अधीनस्थ/कमिटल न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे0एम0एफ0सी0 गोहद से मूल आपराधिक प्र0क0 09/18 पुलिस थाना गोहद विरुद्ध अरविंद उर्फ सोनू आदि प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही निराकृत हुये हैं तथा उक्त निवेदन की पुष्टि में आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक के खिलाफ झूठा मामला कायम कर लिया है, जबकि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक स्थानीय निवासी होकर कृषक पेशा व परिवार का कर्ताधर्ता है। यदि उसे जमानत पर नहीं छोड़ा गया तो कृषि कार्य पिछड़कर परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या पैदा हो जावेगी। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर चालान पेश किया जा चुका है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक जमानत की शर्तों का पालन करेगा तथा मामले में सहअभियुक्त राकेश नियमित जमानत का लाभ प्राप्त कर चुका है एवं उसका कृत्य वर्तमान आवेदक के कृत्य से भिन्न नहीं होना बताया गया है। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आपराधिक प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार मृतिका सीतेश का विवाह चार वर्ष पूर्व अभियुक्त सोनू पुत्र अलवेल गुर्जर के साथ हुआ था। विवाह के बाद से पति सोनू, सास गुडडी, ताउ ससुर राजा भईया, पप्पू गुडडा, चचिया ससुर अतेंद्र, नरेंद्र, जेट जयपाल, देवर सुरजीत, धर्मेन्द्र मृतिका सीतेश से दहेज में दो लाख रुपये व दस तोला सोने के आभूषण की मांग करते हुये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा घर से निकाल दिया था, जिसकी रिपोर्ट थाना गोहद में की गई थी, उसके बावजूद भी उक्त अभियुक्तगण दहेज की मांग करते परेशान करते रहे तथा उनके द्वारा दिनांक 08.10.17 को मृतिका सीतेश की मारपीट किये जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात मृतिका सीतेश के उक्त ससुरालजन अर्थात् उक्त अभियुक्तगण द्वारा अपने रिश्तेदार प्रकाश व राकेश के सहयोग से हत्या की साक्ष्य को मिटाने के लिये मृतिका सीतेश की लाश को जलाकर अधजली हालत में पानी में फेंक दिया।

उक्त घटना के संबंध में सीतेश के पिता गंगा सिंह के द्वारा थाना गोहद में मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराई गई, जिसे जांच करने पर उक्त सभी लोगों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 229/17 अंतर्गत धारा 304-बी, 201, 34 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तत्पश्चात मामले में विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत अभियोग पत्र पेश किया गया है। उक्त मामलों में किये गये अनुसंधान के आधार पर प्रस्तुत अभियोगपत्र में आवेदक/अभियुक्त प्रकाश व सह अभियुक्त राकेश के द्वारा हत्या की साक्ष्य को मिटाने के लिये मृतिका सीतेश की लाश को जलाकर अधजली हालत में पानी में फेंक दिया जाना भर बताया गया है एवं आवेदक/अभियुक्त प्रकाश सिंह का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड होना भी प्रकरण के अवलोकन से दर्शित नहीं है और उसने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष समर्पण किया है एवं वह दिनांक 24.03.2018 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा वर्तमान मामले में सहअभियुक्त प्रकाश माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के एमसीआरसी क्रमांक 2973/2018 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार पूर्व से नियमित जमानत पर है और आवेदक/अभियुक्त प्रकाश

सिंह का कृत्य मामले में नियमित जमानत का लाभ प्राप्त कर चुके सहअभियुक्त राकेश के कृत्य से विशिष्ट रूप से भिन्न नहीं है।

परिणामतः मामलों में आवेदक/अभियुक्त प्रकाश सिंह की भूमिका सहित मामले की संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों सहित समानता के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त प्रकाश सिंह को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक/अभियुक्त प्रकाश सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं० प्र० सं० स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त प्रकाश सिंह की ओर से कमिटल न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जेएमएफसी गोहद की संतुष्टि योग्य निम्न शर्तों सहित 50000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र पेश होने पर उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जावे।

Conditions by the applicant:-

- 1- The applicant will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;
- 2- The applicant will cooperate in the trial;
- 3- The applicant will not indulge himself in extending inducement, with the facts of the case so as to acquainted with the facts of the case so as to dissuade him/her from disclosing such facts to the court or to the police officer, as the case may be;
- 4- The applicant shall not commit and offense similar to the offense of which he is accused;
- 5- The applicant will not seek unnecessary adjournments during the trial; and
- 6 The applicant will not leave India without previous permission of the trial Court;

आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)